



जनद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 23.06.22

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 01 किलो ग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार

दिनांक 22.06.2022 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि० बबलू पुत्र अमजद निवासी जाकिर के मकान मे किरायेदार ग्राम महाराजपुर मूल पता ग्राम अनौर थाना कासमाबाद जनपद गाजीपुर को P.M.D रोड रेलवे लाइन टी प्वाइंट महाराजपुर से अवैध 01 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

बबलू पुत्र अमजद निवासी जाकिर के मकान मे किरायेदार ग्राम महाराजपुर मूल पता ग्राम अनौर थाना कासमाबाद जनपद गाजीपुर ।

बरामदगी का विवरण

01 किलोग्राम गांजा

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 0227/2022 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लिंक रोड़ गा०बाद
2. मु०अ०स० 0191/2022 धारा 60/63 आब०अधि० थाना लिंकरोड गा०बाद
3. मु०अ०स० 3392/2022 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा०बाद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ०नि० श्री पंकज तरार

है०का० युसूफ अली



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के निर्देशन में गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में करीब एक दशक से फरार चल रहे पच्चीस हजार के इनामी अभियुक्त को पुलिस अधीक्षक, अपराध के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच टीम, गाजियाबाद ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है दिनांक: 23.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रान्च, जनपद गाजियाबाद द्वारा 09 वर्ष से फरार चल रहे शातिर अपराधी अमित शर्मा पुत्र गंगाचरण शर्मा निवासी बसई थाना बिसौली जनपद बदायूं, जिसके ऊपर वर्ष 2015 में 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा गिरफ्तार न होने की दशा में वर्ष 2018 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद महोदय द्वारा 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त मु0अ0सं0 256/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2013 से ही लगातार फरार चल रहा था। गिरफ्तार से बचने के लिए अभियुक्त अलग-अलग शहरों में नाम बदल-बदलकर व अलग-अलग रोजगार करते हुए अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। उसने अपने मूल निवास स्थान से पूर्ण रूप से नाता तोड़ लिया था। ईनामी अभियुक्त उपरोक्त को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद ने कौशाम्बी बस स्टैण्ड थाना लिंक रोड़ के पास से उसकी कार के सहित गिरफ्तार कर लिया, जब वह अपने किसी साथी को लेने आया था। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. अमित पुत्र गंगाचरण शर्मा निवासी बसई थाना बिसौली जनपद बदायूं

आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 07/2013 धारा 420,467,468,471,411 भादंवि थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 256/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद



(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 23.6.20 को नाजायज गांजा व शराब बेचने वाले 02 अभियुक्त को मय 1 कि० 300 ग्राम नाजायज गांजा व 34 अदद पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 23.6.22 को समय करीब 10.05 बजे ग्रीन वैली पार्क अभय खंड के पिछले गेट 1 के पास से अभियुक्त मोबीन अहमद व दानिश सैफी को मय 1 कि० 300 ग्रा० नाजायज गांजे व 34 अदद पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- मोबीन अहमद पुत्र रफी अहमद उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मकान न० 114 गोसिया मस्जिद के सामने खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाज़ियाबाद
- 2- दानिश सैफी पुत्र मौ० अकरम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी RC 9 प्रशांत विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाज़ियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोबीन अहमद

मु०अ०स० -777/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

मु०अ०स० 803/21 धारा 392 आईपीसी थाना खोड़ा गाजियाबाद ।

मु०अ०स० 262/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खोड़ा गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश सैफी

मु०अ०स० 778/22 धारा 60/63 एक्स० एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1 कि० 300 ग्राम गांजा

34 अदद पच्चे हरियाणा मार्का देशी शराब

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० प्रवेन्द्र बालियान
- 2- SIUT विजय ढाका
- 3- का० 1117 पुष्पेन्द्र

4- का० अभिजीत बालियान 768

5- मय गाडी सरकारी व चालक है०का० ओंकार 1325

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा गांजा बेचने वाले अभियुक्त जुबैर कुरैशी को मय 600

ग्राम नाजायज गांजा समेत गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 23.6.22 को समय करीब 11.35 बजे वसुन्धरा सै0 4 की झुग्गी झोपडी के सामने से अभियुक्त जुबैर कुरैशी पुत्र तैय्यब कुरैशी निवासी म0न0 264 कुरैशियन मौहल्ला पसौन्डा थाना टीला मोड गाजियाबाद को मय 600 ग्रा0 नाजायज गाजें सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

जुबैर कुरैशी पुत्र तैय्यब कुरैशी निवासी म0न0 264 कुरैशियन मौहल्ला पसौन्डा थाना टीला मोड गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जुबैर कुरैशी

मु0अ0स0 -779/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

600 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 यतेन्द्र कुमार

2- है0का0 912 हंसराज

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति को 400 ग्राम नाजायज गांजा के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.06.2022 को सोमबाजार तिलकराम कालोनी से चैकिंग के दौरान रात्रि में समय 21.35 बजे एक अभियुक्त चन्दन पुत्र स्व० राधिकारंजन नि० रजनी चौक विवेकानन्द कालोनी कस्बा पूर्णिया थाना कस्बा पूर्णिया बिहार हाल पता – किरायेदार महावीर का मकान सोम बाजार तिलकराम कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद के कब्जे से 400 ग्राम नाजायज गांजा प्राप्त हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. चन्दन पुत्र स्व० राधिकारंजन नि० रजनी चौक विवेकानन्द कालोनी कस्बा पूर्णिया थाना कस्बा पूर्णिया बिहार हाल पता – किरायेदार महावीर का मकान सोम बाजार तिलकराम कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

400 ग्राम नाजायज गांजा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०स० 413/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना लोनी बार्डर गा०बाद।
2. मु०अ०स० 777/19 धारा 60/63 EX.ACT थाना लोनी बार्डर गा०बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० श्री विशाल सिंह थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।
2. हे०का० 1468 रविन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद।
2. का० 166 कपिल कुमार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।
3. का० 3776 सत्यवान थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद।

फैक्ट्री के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ करने वाले 03 अभि०गण को किया को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनीराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल

आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी की पुलिस टीम द्वारा थाना सिहानीगेट की एनसीआर नं०- 08/22 धारा 427 भादवि के अभि० सुमित, अनुज, विपिन चहल को बीती रात डी०पी०एस० के पास लोहियानगर से गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

अभियुक्तगण सुमित अनुज व विपिन चहल द्वारा दि० 21/06/022 को INSTAKART SERVICES PVT LTD. बी-15/4 मेरठ रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया नियर डी०पी०एस० गा०बाद के एम्पलाय श्री सोमवीर सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र सिंह की कार ALTO K10 N0-UK18E3994 जो उपरोक्त आफिस के बाहर खड़ी थी को पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध में श्री सोमवीर सिंह उपरोक्त द्वारा थाना सिहानीगेट में एनसीआर नं०- 08/22 धारा 427 भादवि पंजीकृत कराया था पुलिस टीम द्वारा जाँच के दौरान बीती रात अभि०गण को गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.सुमित पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी मकान न 175 गली न 5 संजय नगर सेक्टर 23 गाजियाबाद
- 2.अनुज पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी मकान न 7 नूर नगर सिहानी गाजियाबाद
3. विपिन चहल पुत्र श्री सौराज सिंह निवासी मकान न 36 ओल्ड आनंद विहार कालोनी नियर नेहरू नगर गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री रामप्रताप राघव थाना सिहानी गेट
- 2.है०का० 1385 वीरेन्द्र सिंह थाना सिहानी गेट
- 3.है०का० 1459 संजय सिंह थाना सिहानी गेट

वाहन चैकिंग करते समय ट्रैफिक कर्म0गण के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौच कर धमकी देना व सरकारी काम मे बाधा डालने वाला अभि0 को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनीराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन मे तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी की पुलिस टीम द्वारा थाना सिहानीगेट क्षेत्र के DPS तिराहा मेरठ रोड पर ट्रैफिक डियूटी मे वाहन चैकिंग कर रहे कर्म0गण के साथ बुलेट मो0सा0 सवार अभि0 रितिक द्वारा धक्का मुक्की कर गाली गलौच कर धमकी देना व सरकारी काम मे बाधा डालने पर अभि0 रितिक के विरुद्ध पजीकृत मु0अ0सं0 339/22 धारा 332/353/504/506 भादवि मे गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

दि0 23/06/022 को ट्रैफिक डियूटी मे लगे कर्म0गण है0का0 टीपी विक्रम सिंह व का0 टीपी तरुन कुमार DPS तिराहा मेरठ रोड पर वाहन चैकिंग कर रहे थे कि बुलेट मो0सा0 सवार अभि0 रितिक द्वारा कर्म0गण के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौच कर धमकी देना व सरकारी काम मे बाधा डालने पर ट्रैफिक कर्म0गण व पीआरवी 2150 कर्म0गण द्वारा अभि0 को DPS तिराहा मेरठ रोड से स्थानीय पुलिस के सहयोग से थाना लेकर आये व अभि0 रितिक के विरुद्ध मु0अ0सं0339/22 धारा 332/353/504/506 भादवि पजीकृत कर अभि0 को मा0 न्या0 भेजा गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रितिक पुत्र अमित गुप्ता निवासी गली नं0 1 कृष्णा नगर मोदीनगर गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. हे०का० 1118 TP विक्रम सिंह गिरि यातायत पुलिस गाजियाबाद
2. का० 367 तरून यातायत पुलिस गाजियाबाद
3. पीआरवी 2150 के कर्म०गण हे०का० 1285 अमित व का० 821 शेषनाथ सिंह व चालक रोबिन सिंह

साइबर सैल एवम् थाना को०नगर जनपद-गाजियाबाद

(दिनांक 23/06/2022)

साइबर सैल तथा थाना को०नगर पुलिस द्वारा गुड्स सर्विस/घरेलू सामान ट्रान्सपोर्टेशन करने के नाम पर आम जनता के लोगो से मालभाडा तय की गयी धनराशि से अधिक धनराशि वसूलने वाले गैंग मुखिया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत साइबर सैल तथा थाना को०नगर पुलिस द्वारा दिनांक 23/06/2022 को पंचवटी फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में मु०अ०सं०-248/2022 धारा 420/406 भादवि थाना को०नगर में प्राथमिकी पंजीकृत है।

घटना का विवरण व अनावरण :- कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली शशी गुप्ता द्वारा साइबर सैल गाजियाबाद को दिनांक-01/06/2022 को लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें अंकित किया गया कि दिनांक घटना 03 मई, 2022 को गूगल से गुड्स सर्विस पैकर्स मूवर्स के नाम से मोबाइल नम्बर सर्च कर दर्शित मोबाइल नम्बर पर बात करने के बाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 97000/- रुपये तथा घर का समस्त सामान हैदराबाद भेजने के नाम पर ठगी की गयी है। साइबर सैल द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक द्वारा प्रदान किये गये संदिग्ध मोबाइल नम्बर व ट्रान्सफर किये गये पैसे की जाँच/अवलोकन कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 23/06/2022 को 01 अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका:- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अपने अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर गूगल पर अपना नम्बर पैकर्स मूवर्स के नाम से अपडेट कराकर रखते हैं, जरूरत मन्द लोगो को कम किराये पर सामान शिफ्ट करने का लालच देकर एडवांस पैसा लेकर सामान उठा ले जाते हैं, बाद में जी०एस०टी० व अन्य खर्च का बहाना बताकर सामान को दो-तीन माह तक अपने पास प्रयोग कर लेते हैं, या अधिक पैसा लेकर सामान को निश्चित स्थान पर पहुँचाते हैं।

नाम पता अभियुक्त:-

1. कुलदीप पुत्र रमेश कुमार निवासी वार्ड नं०-20 मुख्य चौक के पास न्यागल छोटी, जनपद चुरू राजस्थान, हाल पता:- चन्दन नगर निकट शिव मन्दिर के पास थाना चन्दन नगर जनपद हिसार हरियाणा। उम्र-25 वर्ष शिक्षा 10 वीं पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 248/2022 थाना को०नगर, गाजियाबाद
2. साइबर पोर्टल पर शिकायत सं०-81760032200601 (द्वारिका साउथ सेक्टर-09, दिल्ली)

3. साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0-23110210244002 (नोएडा)

4. E-FIR 202200088011 (नोएडा)

बरामदगी का विवरण:-

1. मोबाइल वीवो---861612051112779/61 मो0नं0-8882671860/9944688481 ,
2. ओप्पो रंग—863692059283390/82 मो0नं0-9310998316 ,
3. पेन कार्ड---01 (IVBPS83912)
4. आधार कार्ड—01(838543203413) ,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिशुपाल सोलंकी थाना को0नगर
2. उ0नि0 सुमित कुमार साईबर प्रभारी सैल
3. है0का0 1494 अनिल कुमार साईबर सैल
4. का0 2175 रविश शर्मा साईबर सैल
5. का0 2848 नागेन्द्र सिंह साइबर सैल